विवरण

उन राज्यों, जिनमें टाडा पुनरीक्षण समितियां गठित की गई हैं तथा उन व्यक्तियों जिनके खिलाफ टाडा प्रावधानों को वापस लिया गया है, के ब्यौरे का विवरण।

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षा के उपरान्त जिन व्यक्तियों को वापस लिया गया है, उनकी संख्या
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,378
2.	अरुणाचल प्रदेश	उ०न०*
3.	असम	754
4.	बिहार	उ०न०
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	10,327
7.	हरियाणा	158
8.	हिमाचल प्रदेश	स०न०
9.	जम्मू व कश्मीर	उ०न०
10.	कर्नाटक	51
11.	महाराष्ट्र	684
12.	मध्य प्रदेश	449
13.	मणिपुर	110
14.	मेघालय	उ०न०
15.	पंजाब	216
16.	राजस्थान	उ०न०
17.	तमिलनाडु	उ०न०
18.	उत्तर प्रदेश	4
19.	पश्चिम बंगाल	—
20.	चंडीगढ़ प्रशासन	8
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	223
	कुल	23,862

*

राष्ट्रीय पुलिस/कारावास नीति

3899. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय पुलिस और कारावास नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नीति की किन-किन बातों को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) क्या इसके कार्यान्वयन में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली के व्यापक पुनरीक्षण के लिए नवम्बर, 1977 में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को उन पर विचार करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करती रही है कि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाये।

2. उच्चतम न्यायालय द्वारा 6.5.98 को जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण करने और लम्बित सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए 25.5.98 को श्री जे० एफ० रिबेरी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

3. जहां तक जेलों का संबंध है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 4 के अनुसार यह भी राज्य का विषय है। यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी लाना, जेलों की हालात में सुधार करना और जेलों के सुधारात्मक पहलुओं पर जोर देने के लिए आवश्यक नीति और कूटनीति इजाद करे। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से जेलों से जुड़े उपर्युक्त पहलुओं की आवश्यकता पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को केवल सलाह ही नहीं दे रही है बल्कि कैदियों के रहन-सहन के हालात में सुधार करने और जेलों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध

करने के लिए जेलों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रयासों को उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, दसवें वित्त आयोग द्वारा पुराने जेल भवनों की मरम्मत और उनके नवीकरण के लिए और जेलों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश भी की है।

Article 356

3900. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether several State Governments have urged the Central Government to modify Article 356 of the Constitution to prevent its misuse;

(b) if so, whether the Sarkaria Commission has made some recommendations regarding Article 356 of the Constitution; and

(c) if so, the details thereof and reaction of the Central Government on such recommendations?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The recommendations of the Sarkaria Commission in regard to the amendment of article 356 of the Constitution of India are contained in Chapter VI of its Report. These recommendations were discussed in the meetings of the Standing Committee of the Inter-State Council held on 15.1.1997, 10.5.1997, 17.6.1997 and 8.7.1997. The matter was also discussed in the meeting of the Inter-State Council held on 17.7.1997. However, there was no consensus. It was suggested by the Prime Minister that the matter be further considered by the Standing Committee and brought before the Inter-State Council in due course.

Major initiatives to augment anti insurgency strategy

3901. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Centre has launched major initiatives on economic front to augment its new anti-insurgency strategy in Jammu and Kashmir;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Centre has also acceded to pending requests of Assam Government for similar dispensations;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b) Govt. considers accelerated economic development as an important part of the strategy to deal with militancy in J&K. A high level meeting was convened by the Union Home Minister with the Chief Minister, J&K on 24.6.98 at Srinagar to review the progress of on-going schemes and discuss various issues pertaining to development of the State. The Union Ministers of Defence, Tourism, Railways and Power as well as concerned Ministers of the State Govt. participated in the meeting.

Subsequently, a second meeting was held with the Chief Minister, J&K on 5.7.98 at New Delhi to discuss the financial problems being faced by the J&K State. Union Minister of Finance, Minister of power, Defence Minister and deputy Chairman, Planning Commission and the Finance Minister of J&K attended the meeting. The following decisions were taken at the meeting:—

(i) The Government of India will meet the Plan requirements by bridging the resource gaps, providing funding for a suitable Plan size. However, the State Government will also take steps to improve their own resources by better collection of revenues/